रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 1993/ज्येष्ठ 28, 1915
No. 118] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 1993/JYAISTHA 28, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 142/(पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 18 जून, 1993

फाइल सं. 6/8/93-ईपीसी/आईपीसी-2.—निर्यात-आयात नीति, 1992—97 (संशोधित संस्करण, मार्च, 1993) के पैरा 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 1992—97 (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

(1) अध्याय 7 में, पैरा 109 के अंतर्गत आने वाली सारणी में अंतिम दोनों उपकालमों में विद्यमान शब्द और अंक "रुपए 25 लाख" को संशोधित करके "रुपए 50 लाख" पढ़ा जाएगा।

(2) अध्याय 7 में, पैरा 111 में, आठवीं पंक्ति में विद्यमान शब्द "लागत बीमा भाड़ा मूल्य" के पहले शब्द "कुल" जोड़ा जाएगा ।

(3) अध्याय 7 में, पैरा 118 में दी गई सारणी में, क्रम सं. 2 पर दी गई प्रविष्ट को शुद्ध करके निम्नवत् पढ़ा जाएगा:—

"वे निर्यातक जिन्होंने पिछला निर्यात निष्पादन कर लिया है लेकिन जो उपर्युक्त क्रम सं. 1 में शामिल नहीं हैं "।

(4) अध्याय-10, पैरा 200 में, "अध्याय-9 के पैरा 189 की शर्तानुसार जारी प्राधिकार-पत्र" शब्दों को सही करके निम्नवत पढ़ा जाएगा:—
"परिशिष्ट-18 में निर्धारित किए गए परियोजना प्राधिकारी प्रमाण-पत्र"।

(5) परिशिष्ट-20 में अर्थात् शुल्क मुक्ति हकदारी प्रमाणपत्र में, भाग 1 और 2 दोनों में विद्यमान वाक्य "आयातक, आयात के प्रथम खेप की निकासी की तिथि से महीने के अंदर उक्त अधिसूचना की शर्तानुसार निर्यात करेगा" को सही करके निम्नवत् पढ़ा जाएगा:—

"आयातक, लाइसेंस जारी होने की तिथि से महीने के अंदर उक्त सीमाशुल्क अधिसूचना की शर्तानुसार निर्यात करेगा ।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

सी. के. मोदी, महानिदेशक, विदेश-व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 142|(PN)|92—97

New Delhi, the 18th June, 1993

F. No. 6|8|93-EPC|IPC-II.—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export & Import Policy, 1992—97 (Revised Edition : March, 1993), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following corrections in the Handbook of Procedures, 1992—97 (Volume-I) :—

(i) In Chapter VII, in the table under paragraph 109, the words and figures "Rs. 25 Lakhs" appearing both in the last two sub-columns shall be amended to read as "Rs. 50 lakhs".

(ii) In Chapter VII, paragraph 111, the word "aggregate" shall be added before the word "CIF" appearing in eighth line.

(iii) In Chapter VII, in the table under paragraph 118, the entry at Sl. No. 2 shall be corrected to read as under :—

"Exporters having performance of past exports but not covered under Sl. No. 1 above."

(iv) In Chapter X, paragraph 200, the words "Letter of Authority issued in terms of paragraph 189 of Chapter IX" shall be corrected to read as under :—

"Project Authority Certificate prescribed in Appendix XVIII."

(v) In Appendix XX, viz. the format of Duty Exemption Entitlement Certificate, the clause "The Importer shall make the exports in terms of the said notification within————months from the date of clearance of first consignment of import" appearing in both Parts I & II shall be corrected to read as under :—

"The Importer shall make exports in terms of the said Custom Notification within————months from the date of issue of the licence."

2. This issues in public interest.

C. K. MODI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications Delhi-110054 1993